निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद खालसा
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां
प्रकरण संख्या :– 84/2016 दावा
दायरा दिनांक :– 30.05.2016
निर्णय दिनांक :– 18.05.2017

उनवान

माफी मन्दिर श्री सुखदयालजी विराजमान दीगोद खालसा जरिये पुजारी श्रीलाल पुत्र जमनालाल जाति बैरागी निवासी दीगोद खालसा तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट
निर्णय दिनांक :– 18.05.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री अशोक पारीक

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 254 रकबा 23.04 बीघा, ख0नं0 656 रकबा 8.13 बीघा, मौजा दीगोद खालसा में स्थित हैं जो वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रहीं है। उक्त वर्णित आराजी पूर्व में खातौनी बन्दोबस्त संवत 2013–32 में वादी के दादा श्री भैरूदास पुत्र घांसीदास कौम बैरागी सा0 देह बतौर पुजारी दर्ज थे। भैरूदास के एक मात्र पुत्र जमनालाल हुए तथा जमनालाल के एक मात्र पुत्र वादी श्रीलाल हुआ है। उक्त वर्णित आराजी में वादी के दादा श्री भैरूदास का नाम बतौर पुजारी दर्ज जमाबन्दी चला आ रहा था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने संवत 2051–54 में वादी के दादा का नाम राजस्व रिकार्ड में पुजारी को हटा दिया। वादी के दादा श्री भैरूदास का स्वर्गवास हो गया है उनके स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी वादी के पिता श्री जमनालाल के कब्जे काश्त में चली आ रही थी तथा जमनालाल के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजी वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादी उक्त आराजी की आय से मन्दिर के तेल भोग, दिया बाती इत्यादि की व्यवस्था करता चला आ रहा हैं मन्दिर श्री सुखदयालजी विराजमान दीगोद खालसा की पूर्व में वादी के दादा श्री भैरूदास पूजा करते थे तथा उनके स्वर्गवास के वाद वादी के पिता श्री जमनालाल पूजा करते थे तथा उनके स्वर्गवास के बाद वादी निरन्तर पूजा करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी पूर्व में भैरूदास का नाम बतौर पुजारी दर्ज था इसलिए वादी अपना नाम बतौर पुजारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त वर्णित आराजियात में अपना नाम बतौर पुजारी दर्ज करवाने का निवेदन तहसीलदार साहब छीपाबडौद को दिनांक 27.05.2016 को किया तो उन्होने वादी का नाम बतौर पुजारी दर्ज करने से इन्कार कर दिया तथ माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए कहा यही तिथि बिनाय मुखास्मत दावा हाजा करार दी जाती है वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम दीगोद खालसा संवत 2071–2074 खाता संख्या 482, नकल जमाबन्दी ग्राम दीगोद खालसा संवत 2013–2032, नकल जमाबन्दी ग्राम दीगोद खालसा संवत 2056–2059 खाता संख्या 375 पेश की गई। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद खालसा पर उपस्थित हुए। वादी का कथन है कि उक्त वर्णित आराजी में खातौनी बन्दोबस्त संवत 2013–32 में वादी के दादा श्री भैरूदास पुत्र घांसीदास कौम बैरागी बतौर पुजारी दर्ज चला आ रहा था लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने संवत 2056–2059 में वादी के दादा का नाम राजस्व रिकार्ड से पुजारी शब्द को हटा दिया। वादी राजस्व रिकार्ड में बतौर पुजारी दर्ज करवाना चाहता है।

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम दीगोद खालसा संवत 2071–2074 खाता संख्या 482, के अनुसारमाफी मन्दिर श्री सुखदयालजी विराजमान दीगोद खालसा दर्ज है। नकल जमाबन्दी, ग्राम दीगोद खालसा संवत 2013–2032, के अनुसारमाफी मन्दिर श्री सुखदयालजी पुजारी भैरूदास पुत्र घांसीदास कौम बैरागी सा0 देह बतौर पुजारी दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम दीगोद खालसा संवत 2056–2059 खाता संख्या 375 में माफी मन्दिर श्री सुखदयालजी पुजारी भैरूदास पुत्र घांसीदास कौम बैरागी दर्ज था परन्तु पुजारी भैरूदास पुत्र घांसीदास कौम बैरागी काट दिया गया है। तहसील कार्यालय में संधारित पुजारियों के नाम के रजिस्टर में वादी का नाम तहसीलदार द्वारा जांच उपरान्त बतौर पुजारी होना सही पाया जावे तो तहसीलदार द्वारा पुजारियों के रजिस्टर में पुजारी का नाम दर्ज किया जाना न्यायौचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प दीगोद खालसा पर आंशिक स्वीकार किया जाता है कि यदि जांच उपरान्त बतौर पुजारी सही होना पाया जावे तो तहसील कार्यालय में संधारित पुजारियों के नाम दर्ज रजिस्टर में वादी का नाम बतौर पुजारी मन्दिर श्री सुखदयालजी महाराज विराजमान दीगोद खालसा में तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेश दिये जाते है। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला

Scanned by CamScanner